कृषि विस्तार इकाई की उपयोगिताः–

कृषि विस्तार योजना लागू होने से पूर्व एवं प्रारम्भिक काल में इस क्षेत्र के कृषक वर्षा आधारित फसलों जैसे मोठ,तिल, बाजरा, एवं ग्वार इत्यादि की ही बुवाई करते थे इन वर्षा आधारित फसलों की उत्पादकता व उत्पादन न्यून मात्रा में होता था यह क्षेत्र मुख्यतयाः पशुपालन व्यवसाय पर आधारित था। जिसके कारण परिणामतः इस क्षेत्र के कृषकों का आर्थिक व सामाजिक स्तर कमजोर था इस क्षेत्र मे इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होने से इस क्षेत्र मे सिंचित फसलों जैसे कपास, मूंगफॅली, गेहूं, चना, सरसों, जीरा व ईसबगोल इत्यादि फसलों की बुआई होने लगी है। इन फसलों की प्रति इकाई उत्पादकता अच्छी होने से उत्पादन बढ़ा है जिससे इस क्षेत्र के कृषकों का आर्थिक व सामाजिक स्तर भी बढ़ा है।

कृषि विश्वविधालयों व सिंचित क्षेत्र के ग्राहय परीक्षण केन्द्रों का किये गये अनुसंधानों को कृषकों के खेतों पर कृषि हस्तान्तरण की महत्वपूर्ण पद्धतियां जैसे कृषक प्रशिक्षण, फसल प्रर्दशन, कृषक मण्डल इत्यादि के माध्यम से पहुंचाये गये है इस क्षेत्र में बोयी जाने वाली फसलों व आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक अनुसंधान कार्य सिंचित क्षेत्र विकास के अनुसंधान केन्द्रों पर किये जा रहे है इन कार्यो को खरीफ व रबी सीजन वाईज पुस्तिका में मुद्रित कर अधीनस्थ स्टाफ के माध्यम से कृषकों तक पहुंचाया जा रहा है इसके अलावा फसलानुसार पम्पलेट भी कृषकों में वितरित किये जाते है।

इंगांनप द्वितीय चरण क्षेत्र की मृदा मुख्यतयाः बलुई प्रकृति की है जिसके कारण फसलों को सिंचाई जल की जल्दी–जल्दी आवश्यकता रहती है इसके लिए जल प्रबन्धन की महत्वपूर्ण तकनीकी फव्वारा पद्वति से सिंचाई का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। कृषि अनुसंधान कार्यो की शीघ्रता से ग्राहयता बढ़ाने हेतु कृषकों के खेतों पर फसल प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे है तथा कृषकों को क्षेत्र में बोयी जाने वाली फसलों की समस्त तकनीकों की जानकारी देने हेतु कृषक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है।

1. कृषकों/लाभार्थियों से प्राप्त समस्याओं/शिकायतों का निवारणः–

कृषि विस्तार इकाई की गतिविधियों के अनुसार कृषकों की दो प्रकार की समस्याएॅ/शिकायतें जानकारी में आती है । जिसके अन्तर्गत प्रथम समस्या/शिकायत जो कि उन्नत कृषि विधियों की जानकारी से संबंधित है । जिसका निवारण क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा कृषक से व्यक्तिगत संपर्क कर एवं कृषक प्रशिक्षणों तथा कृषक के खेत पर व्यक्तिशः निरीक्षण कर किया जाता है ।

द्वितीय समस्या/शिकायत जो कि प्रोत्साहन योजनाओं से लाभांवित होने से संबंधित है। जिसका निवारण लाभांवित होने वाले कृषकों के आवेदन पत्र संबंधी कागजात इत्यादि की जॉच कर किया जाता है।

2. विशेष उल्लेखनीय कार्यः–

अ. टिड्डी नियंत्रण कार्य

वर्ष 2005–06 में माह अक्टूबर–नवम्बर में जैसलमेर जिले के नाचना, मोहनगढ व बीकानेर जिले के बज्जू,बीकमपुर,कोलायत क्षेत्र में टिड्डियों का भयंकर प्रकोप हुआ था। जिसके नियंत्रण हैतु विशेष नियंत्रण कक्ष बीकानेर,नाचना,मोहनगढ व बज्जू में स्थापित किये गये थे व समस्त स्टाफ को टिड्डी प्रकोप की जानकारी हैतु तैनात किया गया था। जिससे यह संभव हो सका कि टिड्डियों का प्रकोप विशेषकर सिंचित क्षेत्र जिसमें 150 किलोमिटर लम्बाई के अर्न्तराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में तथा लगभग 80 किलोमिटर चौडाई में हुआ था। इस क्षेत्र में टिड्डियों को प्रकोप की प्राथमिक सूचना उचित समय पर कृषि विभाग राजस्थान व संबंधित जिला कलैक्टर बीकानेर व जैसलमेर तथा टिड्डी चेतावनी संगठन भारत सरकार को दी गई थी। इस संदर्भ में श्रीमान् निदेशक कृषि विभाग राजस्थान ने टिड्डियों के नियंत्रण हेतु उप निदेशक कृषि विस्तार सिंक्षेवि.इंगांनप. बीकानेर को विशेष वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार दिये। जिसकी पालना में टिड्डियों के नियंत्रण हैतु विशेष कैम्प नाचना(जैसलमेर) में स्थापित कर अधीनस्थ स्टाफ सहित जिला प्रशासन व टिड्डी चेतावनी संगठन के समन्वय से कार्य किया। यह सघन टिड्डी नियंत्रण अभियान 6 नवम्बर से 15 दिसम्बर–2005 तक चलाया गया। जिसमें कृषि विस्तार इकाई के समस्त स्टाफ ने सुबह 5:00 बजे से रात्रि को 11:00 बजे तक अथक प्रशंसनीय कार्य किया। जिसके कारण यह संभव हो सका कि

खरीफ व रबी की फसलों को टिड्डियों के प्रकोप से कृषकों की अरबों रूपये की फसलों को बचाया गया। कृषि विस्तार द्वारा टिड्डियों के प्रकोप की सूचना को तत्परता से उच्चाधिकारीयों को उचित समय पर संप्रेषण व टिड्डी नियंत्रण कार्यों को माननीय कृषि मंत्री महोदय व श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव कृषि व श्रीमान् निदेशक कृषि विभाग ने अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य बताया ।

ब. **संवत्–2061 में अकाल राहत के तहत फव्वारा सिंचाई हैतु डिग्गी का निर्माण**

सिंचित क्षेत्र विकास के कृषि अनुसंधान केन्द्रों पर किये गये अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि बहाव पद्वति की तुलना में फव्वारा पद्वति से सिंचाई करने पर 48 प्रतिशत जल की बचत होती है। इस बचे हुए जल से लगभग दुगना सिंचित क्षेत्र बुवाई के अन्तर्गत लाया जा सकता है। फव्वारा सिंचाई की इसी उपयोगिता को मद्देनजर रखते हुए अकाल राहत विभाग ने जिला कलैक्टर बीकानेर व जैसलमेर के माध्यम से अकाल राहत के तहत सिंचाई हैतु डिग्गीयों के निर्माण का कार्य करवाया। अकाल राहत के तहत सिंचाई हैतु बीकानेर जिले में 144 डिग्गीयों का व जैसलमेर जिले में 57 डिग्गीयों का इस प्रकार इंगांनप. द्वितीय चरण क्षेत्र में 201 डिग्गीयों का निर्माण करवाया गया था। इन डिग्गीयों के निर्माण हैतु राहत विभाग द्वारा श्रम मद के विरूद्व गेहूॅं द्वारा भुगतान किया गया तथा फव्वारा व ईंजन लगाने पर कृषि विभाग द्वारा अनुदान कृषकों को उपलब्ध करवाया गया। कृषि विभाग द्वारा फव्वारा व ईंजन लगाने पर 201 कृषकों को 23,11,394 रूपये अनुदान दिया गया । इस प्रकार कृषि विस्तार इकाई ने अपने मूल कार्य के अतिरिक्त अकाल राहत विभाग द्वारा दिये गये कार्य को सफलतापर्वूक पूर्ण किया । इस कार्य के कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन को श्रीमान् जिला कलैक्टर बीकानेर व जैसलमेर ने अत्यन्त उल्लेखनीय बताया ।